



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- जविप्रा/अधि. अभि.-1/2021-22/डी-274

दिनांक 10.11.21

निविदा संशोधन सूचना

इस प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में जारी निविदा सूचना संख्या: 17/अधि. अभि.-1/2021-22 " Miscellaneous Repairing work in SMS Stadium velodrome , JDA, Jaipur. " कार्य की निविदा में जारी की गई शर्त नं. 32. Finance (G&T) Department notification jaipur dated 22.10.21 applicable for additional performance security. के स्थान पर प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 01(24) नविवि/1/2020 लूज दिनांक 20.09.2021 के अनुसार जारी शर्त को पढ़ा जावे।

UBN No. JDA2122WSOB00400

निविदा की शेष समस्त शर्तें यथावत रहेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अधिशायी अभियन्ता-01
जविप्रा जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष -(+91-141-2561259): ईपीबीएक्स -+91-141-2569696 एक्सटेंशन : {1110}: फ़ैक्स -+91-141-2574555

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावें। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त हैं, इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

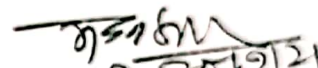
कार्यालय का पता- खाद्य भवन, द्वितीय तल, कमरा नं0 7203, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

ई-मेल आई.डी. CEUDHRAJASTHAN@GMAIL.COM

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021 <i>Asvina 30, Friday, Saka 1943- October 22, 2021</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 22, 2021

G.S.R.364 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new rule 75A.- After the existing rule 75 and before the existing rule 76 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the following new rule 75A shall be inserted, namely:-

"75A. Additional Performance Security.- (1) In addition to Performance Security as specified in rule 75, an Additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of Unbalanced Bid Amount. The Additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited through e-Grass, Demand Draft, Banker's Cheque, Government Securities or Bank Guarantee.

Explanation : For the purpose of this rule,-

- Unbalanced Bid means any bid below more than fifteen percent of Estimated Bid Value.
- Estimated Bid Value means value of subject matter of procurement mention in bidding documents by the Procuring Entity.
- Unbalanced Bid Amount means positive difference of eighty five percent of Estimated Bid Value minus Bid Amount Quoted by the bidder.

(2) The Additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of the entire work. The Additional Performance Security shall be forfeited by the Procuring Entity when work is not completed within stipulated period by the contractor. Provision for 'Unbalanced Bid' and 'Additional Performance Security' shall be mentioned in the Bidding Documents by the Procuring Entity."

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]
By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।